न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रैक) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– जीतू कुलहरी, R.A.S
वाद संख्या 15/2024 (दर्ज दिनांक 02.05.2024)
अर्न्तगत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

सुमन शर्मा पुत्री श्री किशनलाल उर्फ हरिकृष्ण पत्नी श्री नरेन्द्र शर्मा जाति ब्राहम्ण निवारी वार्ड नम्बर 15, टिब्बी जिला हनुमानगढ (राजस्थान)।
....वादी

ब ना म

1. श्रीमती सन्तरो देवी पत्नी किशनलाल उर्फ हरिकृष्ण
2. सुनील कुमार पुत्र श्री किशनलाल उर्फ हरिकृष्ण
3. संदीप कुमार पुत्र श्री किशनलाल उर्फ हरिकृष्ण
} जाति ब्राहम्ण निवारी वार्ड न. 3, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
4. रेणू पुत्री श्री किशनलाल उर्फ हरिकृष्ण पत्नी श्री राय सिंह शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी 1 बी डी, 365 हैड तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर (राजस्थान)
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर। .... प्रतिवादीगण

उपस्थित–	श्री संजय जनवेजा	(अधिवक्ता वादी)
	श्री विशाल आहूजा	(प्रति. संख्या 1 ता 4)
	पैरोकार राज	(प्रतिवादी–5)

दिनांकः 26 जुलाई, 2024

–निर्णय–

वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार मुताबिक प्रतिवादीया संख्या 1 वादिया की माता, प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 वादीया के सगे भाई तथा प्रतिवादिया संख्या 4 वादीया की सगी बहिन है। वाके चक 2 एफ छोटी के खाता संख्या 78/58 के मुरब्बा नम्बर 10, 11 व 12 की कुल 8.224 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि में से 51/8224 हिस्सा कृषि भूमि वादिया के पिता श्री किशन लाल पुत्र श्री ईशरदास जाति ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार के नाम से दर्ज कागजात माल है। वादिया के पिता को किशन लाल व हरि कृष्ण दो नामों से जाना पहचाना व पुकारा जाता था। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादिया के पिता का नाम किशन लाल व अन्य कागजात में वादिया के पिता का नाम हरिकृष्ण अंकित है। उक्त दोनों नाम वादिया के पिता के ही 2 नाम है। वादिया के पिता का दिनांक 03.05.2012 को देहान्त हो चुका है। जिनके वादिया व प्रतिवादीगण सहित प्रथम श्रेणी के कुल 5 वारिसान हैं। वादिया के पिता ने अपने जीवनकाल में अपनी सम्पत्ति का घरू बंटवारा वादिया व प्रतिवादीगण के मध्य कर दिया था तथा प्रतिवादीगण को सादुलशहर में आवासीय सम्पत्ति दे दी थी तथा वादिया को घरेलू बंटवारा में उक्त भूमि चक 2 एफ छोटी के खाता संख्या 78/58 के मुरब्बा नम्बर 10, 11 व 12 की कुल 8.224 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि में से 51/8224 हिस्सा कृषि भूमि दे दी थी तथा कब्जा भी उक्त भूमि का उसी समय संभलवा दिया था, तब से वादिया उक्त भूमि पर काबिज चली आ रही है। वादीया के पिता द्वारा वादीया को कहा हुआ था कि जब भी तुम चाहोगी, उक्त रकबा का तुम्हारे नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने के लिए सक्षम कार्यालय में उपस्थित होकर सहमति से अपने हस्ताक्षर कर दूंगा। इस वि वास पर वादी ने अपने हिस्सा में आए हुए उक्त रकबा में मेहनत करके सुधार कार्य करवाया है। मगर दुर्भाग्यवश वादीया के पिता का देहान्त हो गया। जिनके देहान्त के पश्चात प्रतिवादीगण ने भी वादिया को विश्वास दिलाया था कि जब भी तुम चाहोगी, हम सहमति से भूमि तुम्हारे नाम करवा देगें। कुछ दिन पूर्व वादीया ने प्रतिवादीगण को घरू बंटवारानुसार सहमति से भूमि वादिया के नाम करवाने के लिए कहा, ... रहे तथा दिनांक 20.03.2024 को प्रतिवादीगण ने घरू बंटवारा मानने से इन्कार ... और वादीया को सहमति से कृशि भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद ... कर दिया है। यही वाद कारण है। अन्त में वादिया द्वारा निवेदन किया कि चक ... के खाता संख्या 78/58 के मुरब्बा नम्बर 10, 11 व 12 की कुल 8.224 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि में से 51/8224 हिस्सा का वादिया को खातेदार घोषित ... लाल पुत्र श्री ईशरदास के नाम दर्ज 51/8224 हिस्सा का ... किशन लाल पुत्र श्री ईशरदास का नाम कलमजन किया जावे तथा उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में से किशन लाल पुत्र श्री ईशरदास का नाम कलमजन कर उनके नाम के स्थान पर वादीया का नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जावे। वाद पत्र के तथ्यों के समर्थन में शपथ पत्र व जमाबन्दी सम्बत 2070 से 2073 चक 2 एफ छोटी, पटवार हल्का 18 जी जी, भू अभि0 नि0 क्षेत्र गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर संलग्न कर प्रस्तुत की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.14 17:47:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 5 राज्य पक्ष की ओर से राज्यप्रतिनिधि उपस्थित। वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 द्वारा स्वंय उपस्थित आकर राजीनामा दिनांक 14.06.2024 प्रस्तुत किया। वादीया की पहचान अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा के द्वारा तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 की पहचान अधिवक्ता श्री विशाल आहूजा के द्वारा की गई। इसके अतिरिक्त वादीया एवं प्रतिवादीगण के पहचान के दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न कर प्रस्तुत की गई। अतः राजीनामा प्रमाणित किया गया। प्रतिवादी सं0 5 राज्य पक्ष की ओर से पैरोकार राज द्वारा जवाब राज्य पक्ष प्रस्तुत किया गया।

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गई।

पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 14.06.2024, पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए प्रस्तुत बहस का मनन किया गया। ऐसी स्थिति में, विवादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत अभिलेख जमाबन्दी सम्बत 2070 से 2073 चक 2 एफ छोटी, पटवार हल्का 18 जी जी, भू अभि0 नि0 क्षेत्र गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर एवं वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर, यह वाद पत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः वाद वादीया मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 14.06.2024 के अनुसार कृषि भूमि वाके चक 2 एफ छोटी, पटवार हल्का 18 जी जी, अभि0 नि0 क्षेत्र गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 78/58 के मुरब्बा नम्बर 10, 11 व 12 की कुल 8.224 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि में से श्री किशन लाल पुत्र श्री ईशरदास जाति ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार के नाम से दर्ज 51/8224 हिस्सा कृषि भूमि में से वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 को निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है–

1. **वादीया सुमन शर्मा** पुत्री श्री किशनलाल उर्फ हरिकृष्ण पत्नी श्री नरेन्द्र शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नम्बर 15, टिब्बी जिला हनुमानगढ (राजस्थान) को 1/5 हिस्सा का,
2. **प्रतिवादी संख्या 01 श्रीमती सन्तरो देवी** पत्नी श्री किशनलाल उर्फ हरिकृष्ण जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड न. 3, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) को 1/5 हिस्सा का,
3. **प्रतिवादी संख्या 02 सुनील कुमार** पुत्र श्री किशनलाल उर्फ हरिकृष्ण जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड न. 3, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) को 1/5 हिस्सा का,
4. **प्रतिवादी संख्या 03 संदीप कुमार** पुत्र श्री किशनलाल उर्फ हरिकृष्ण जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड न. 3, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) को 1/5 हिस्सा का तथा
5. **प्रतिवादी संख्या 04 रेणू** पुत्री श्री किशनलाल उर्फ हरिकृष्ण पत्नी श्री राय सिंह शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी 1 बी डी, 365 हैड तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर (राजस्थान) को 1/5 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है।

इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाकर उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में से मृतक **किशन लाल पुत्र श्री ईशरदास जाति ब्राहम्ण** सा0 देह खातेदार का नाम विलोपित कर उक्त भूमि को **वादिया सुमन शर्मा व प्रतिवादी संख्या 01 श्रीमती सन्तरो देवी, प्रतिवादी संख्या 02 सुनील कुमार, प्रतिवादी संख्या 03 संदीप कुमार तथा प्रतिवादी संख्या 04 रेणू** के नाम से बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे। शेष खाता यथावत रहेगा।

तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त भूमि के राजस्व अभिलेख में उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी तथा उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग–अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (... /बारानी/गैरमुमकिन) में कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। खर्चा फरीकैन पूर्वानुसार ही रहेगी। जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। खर्चा फरीकैन अपना अपना वहन करेगें।

नियमानुसार स्टाम्प शुल्क पेश करने पर पश्चात डिक्री जारी की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 26 जुलाई, 2024 को जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.14 17:47:28 IST
Reason: SelfAttested

26/07/24

जीतू कुलहरी
(आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
(मुख्यालय) श्रीगंगानगर

डिक्री

(Order 20 Rule 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रैक) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– जीतू कुलहरी R.A.S.

सुमन शर्मा पुत्री श्री किशनलाल उर्फ हरिकृष्ण पत्नी श्री नरेन्द्र शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नम्बर 15, टिब्बी जिला हनुमानगढ (राजस्थान)। ....वादी

ब ना म

1. श्रीमती सन्तरो देवी पत्नी किशनलाल उर्फ हरिकृष्ण
2. सुनील कुमार पुत्र श्री किशनलाल उर्फ हरिकृष्ण
3. संदीप कुमार पुत्र श्री किशनलाल उर्फ हरिकृष्ण

(1 से 3) जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड न. 3, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

4. रेणू पुत्री श्री किशनलाल उर्फ हरिकृष्ण पत्नी श्री राय सिंह शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी 1 बी डी, 365 हैड तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर (राजस्थान)
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर। .... प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री संजय जनवेजा (अधिवक्ता वादी)
श्री विशाल आहुजा (प्रति. संख्या 1 ता 4)
पैरोकार राज (प्रतिवादी–5)

दिनांक: 13 अगस्त, 2024

वाद संख्या 15/2024
अर्न्तगत धारा 88, राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर फास्टट्रैक श्रीगंगानगर द्वारा अधिवक्ता वादी श्री संजय जनवेजा, अधिवक्ता प्रति.सं 1 ता 4 श्री विशाल आहुजा व पैरोकार राज की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि–

वाद वादीया मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 14.06.2024 के अनुसार कृषि भूमि वाके चक 2 एफ छोटी, पटवार हल्का 8 जी जी, अभि0 नि0 क्षेत्र गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 78/58 के मुरब्बा नम्बर 10, 11 व 12 की कुल 8.224 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि में से श्री किशन लाल पुत्र श्री ईशरदास जाति ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार के नाम से दर्ज 51/8224 हिस्सा कृषि भूमि में से वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 को निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है–

1. **वादीया सुमन शर्मा** पुत्री श्री किशनलाल उर्फ हरिकृष्ण पत्नी श्री नरेन्द्र शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नम्बर 15, टिब्बी जिला हनुमानगढ (राजस्थान) को 1/5 हिस्सा का,
2. **प्रतिवादी संख्या 01 श्रीमती सन्तरो देवी** पत्नी श्री किशनलाल उर्फ हरिकृष्ण जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड न. 3, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) को 1/5 हिस्सा का,
3. **प्रतिवादी संख्या 02 सुनील कुमार** पुत्र श्री किशनलाल उर्फ हरिकृष्ण जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड न. 3, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) को 1/5 हिस्सा का,
4. **प्रतिवादी संख्या 03 संदीप कुमार** पुत्र श्री किशनलाल उर्फ हरिकृष्ण जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड न. 3, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) को 1/5 हिस्सा का तथा
5. **प्रतिवादी संख्या 04 रेणू** पुत्री श्री किशनलाल उर्फ हरिकृष्ण पत्नी श्री राय सिंह शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी 1 बी डी, 365 हैड तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर (राजस्थान) को 1/5 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है।

इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 को बराबर खातेदार घोषित किया जाकर उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में से श्री किशन लाल पुत्र श्री ईशरदास जाति ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार का नाम विलोपित कर उक्त भूमि वादीया व प्रतिवादी संख्या 01 श्रीमती सन्तरो देवी, प्रतिवादी संख्या 02 सुनील कुमार, प्रतिवादी संख्या 03 संदीप कुमार तथा प्रतिवादी संख्या 04 रेणू के नाम से बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे। शेष खाता यथावत रहे। अतः डिक्री जारी की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.14 17:17:28 IST
Reason: Self Attested

रूपये ....शून्य....वास्त....शून्य.....खर्चा इस प्रकरण पर हुए व्यय मय ब्याज...शून्य....दर रूपये.....शून्य.. आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 13 अगस्त, 2024 को जारी की गई।

जीतू कुलहरी
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीगंगानगर

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वाद पत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदन पत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	00.00	कुल	00.00

जीतू कुलहरी
सहायक कलक्टर एवं (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.14 17:47:28 IST
Reason: SelfAttested